न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी, श्रीमती मृदुला शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 104/2021

जीसीएमएस सं. – 2021/552

–:: वादीगण ::– बनाम –:: प्रतिवादीगण ::–

पुखराज पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

1. गिरधारी पुत्र भंवरलाल
2. हरीराम पुत्र भंवरलाल
3. सत्यनारायण पुत्र भंवरलाल
4. सोहनलाल पुत्र भंवरलाल

सभी जातियान माली निवासीगण पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

5. स्व. उदाराम पुत्र स्व. तुलछाराम फौत के कायम मुकाम

5/1 मांगीलाल पुत्र स्व. उदाराम जाति जाट निवासी नानण चौराहे के पीछे, भादवा बेरा, पीपाड़ शहर।

5/2 मुथराई पुत्री स्व. उदाराम फौत के कायम मुकाम

5/2/1 भंवरी पत्नी हड़मानराम जाति जाट निवासी बुचकला तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

5/2/2 बेबी पत्नी पपुराम जाति जाट निवासी बाड़ा कलां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

5/2/3 चेलारांम पुत्र धोकलराम

5/2/4 नेनी पत्नी पुराराम

जतियान जाट निवासीगण बांकलिया तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

5/2/5 सीता पत्नि शंकरलाल

5/2/6 गुडिया पत्नि रामुराम जातियान जाट निवासीगण चिरड़ाणी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

6. स्व. नवलाराम पुत्र स्व. तुलछाराम फौत के कायम मुकाम

6/1 बगाराम पुत्र स्व. नवलाराम जाति जाट निवासी खेजड़ला रोड़ पुलिस थाना के आगे पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

6/2 स्व. हरलाल पुत्र स्व. नवलाराम फौत के कायम मुकाम

6/2/1 सायरी पत्नी स्व. हरलाल

6/2/2 जगदीश पुत्र स्व. हरलाल

6/2/3 गणेश पुत्र स्व. हरलाल जातियान जाट निवासीगण खेजड़ला रोड़, पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

6/2/4 शनि पुत्री स्व. हरलाल पत्नी धोकलराम

6/2/5 दुर्गा पुत्री स्व. हरलाल पत्नी बाबुराम जातियान जाट निवासीगण ग्राम बेनण तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

6/2/6 उषां पुत्री स्व. हरलाल पत्नी कंवराराम

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

6/2/7 पाना पुत्री स्व. हरलाल पत्नी बाबुराम जातियान जाट निवासीगण ग्राम जालखा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

6/2/8 नेता पुत्री स्व. हरलाल पत्नी प्रकाश

6/2/9 छोटा पुत्री स्व. हरलाल पत्नी सोहन जातियान जाट निवासीगण ग्राम बोयल तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

6/3 स्व. सोनाराम पुत्र स्व. नवलाराम फौत के कायम मुकाम

6/3/1 सीता पत्नी स्व. सोनाराम

6/3/2 निर्मल पुत्र स्व. सोनाराम जातियान जाट निवासीगण पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

6/3/3 गीता पुत्री स्व. सोनाराम पत्नी धनाराम

6/3/4 पिन्टु पुत्री स्व. सोनाराम पत्नी ओमाराम जातियान जाट निवासीगण ग्राम जवासिया तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

6/3/5 लीला पुत्री स्व. सोनाराम पत्नी श्रवण जाति जाट निवासी ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।

6/3/6 ममता पुत्री स्व. सोनाराम पत्नी राजूजी जाति जाट निवासी फुलमाह, जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली।

6/3/7 गड्डू पुत्री स्व. सोनाराम पत्नी शंकरजी जाति जाट निवासी ग्राम दांतीवाड़ा तहसील व जिला जोधपुर।

7. स्व. रावतराम पुत्र स्व. तुलछाराम फौत के कायम मुकाम

7/1 स्व. अणदाराम पुत्री स्व. रावतराम के कायम मुकाम

7/1/1 कालुराम पुत्र स्व. अणदाराम जाति जाट निवासी पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

7/1/2 मनिया पुत्री स्व. अणदाराम पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम साथीन तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

7/1/3 सुगना पुत्री स्व. अणदाराम पत्नी सोहनजी

7/1/4 मिट्टीया पुत्री स्व. अणदाराम पत्नी प्रेमजी जातियान जाट निवासीगण बागड़िया बस स्टेण्ड ग्राम निम्बाज तहसील जैतारण जिला पाली।

7/1/5 गुडिया पुत्री स्व. अणदाराम पत्नी हुकमाराम जाति जाट निवासी पुलिस थाना के पीछे, पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

8. रामपाल पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

9. भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर

10. प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, शाखा पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री निर्मल कटारिया अधिवक्ता वादी
2. श्री महेन्द्रसिंह कच्छावाह अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 व 2

निर्णय दिनांक : 17.06.2025

वादी की ओर से राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि ग्राम पीपाड़ शहर पटवार क्षेत्र पीपाड़ शहर तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नं. 1271 रकबा 7.3053 हेक्टेयर किस्म चाही तृतीय, खसरा नं. 1271/1 रकबा 0.0728 हैक्टेयर किस्म गै.मु.बेरा कुल खसरें 2 रकबा 7.3781 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित हैं जो राजस्व रेकर्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के नाम से संयुक्त खातेदारी की खाता सं. नया 641 व पुराना 594 पर इन्द्राज सुदा हैं। जिसके सबूत में जमाबंदी संवत 2075–2078 की सलंग्न पेश हैं उक्त आराजीयों को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/15 वां हक, हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रत्येक का 1/15 प्रतिवादी संख्या 5 से 8 प्रत्येक का 1/6 1/15 वॉ हक हिस्सा, 1/6 वॉ हक हिस्सा निहित हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 व वादी वादग्रस्त आराजी में अपने–अपने हक, हिस्से में संयुक्त रुप से काबिज काश्त हैं। वादग्रस्त आराजी में वादी व प्रतिवादीगण अपने–अपने हक व हिस्से में काबिज काश्त हैं तथा संयुक्त खातेदार काश्तकार हैं तथा वादग्रस्त आराजी का आज दिनांक तक विधिवत रुप से माप एवं सीमांकन अनुसार बंटवाडा नहीं हुआ हैं व मौके पर वादग्रस्त आराजी में कब्जा एवं काश्त को लेकर व अपने हक व हिस्सो को लेकर लड़ाई–झगड़ा होता हैं इसलिए वादी वादग्रस्त आराजी का माप एवं सीमांकन अनुसार बंटवाड़ा करवाने व अपने हक हिस्से तक स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं।वादग्रस्त आराजी का माप एवं सीमांकन के अनुसार बंटवाडा नहीं होने से वादग्रस्त आराजी सयुंक्त खातेदारी के रुप में दर्ज हैं इसलिए वादी ने दिनांक 14.09.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को निवेदन किया कि माप एवं सीमांकन अनुसार तथा मौके पर कब्जे एवं काश्त अनुसार चलकर विधि अनुसार बंटवाड़ा करवा लेवे जिस पर प्रतिवादीगण 5 से 8 वादी से अत्यधिक नाराज हो गये तथा एलानिया रुप से कहा कि वे सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द कर देंगे व विधि अनुसार बंटवाड़ा नहीं होने देंगे तथा प्रतिवादी संख्या 5 से 8 वादी की कब्जे काश्त वाली भूमि पर भी अवैध रुप से निर्माण कार्य करके रहेंगे तथा बंटवाड़ा करवाने से स्पष्ट मना कर दिया। इसलिए वादी द्वारा उक्त वादपत्र वास्ते बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत हैं। दिनांक 14.09.2021 को प्रतिवादी संख्या 5 से 8 द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपने हक हिस्से से अधिक भूमि में अतिक्रमण करने व अवैध रुप से निर्माण कार्य करने की धमकियों देने तथा विधि अनुसार बंटवाड़ा करवाने से स्पष्ट इंकार कर देने से वादपत्र पेश करने का वाद कारण उत्पन्न हुआ जो लगातार रुप से उत्पन्न हो रहा हैं।वादग्रस्त आराजी ग्राम पीपाड़ शहर में स्थित होने से उक्त वादपत्र को सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार श्रीमान न्यायालय को प्राप्त हैं व उक्त वादपत्र उचित न्यायालय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत हैं। वादी की इस्तदुआ इस प्रकार हैं–वादी के पक्ष में व

उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के विरुद्ध इस आशय कि बंटवाडा की डिकी सादिर फरमाइ जावें कि ग्राम पीपाड़ शहर में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 1271 रकबा 7.3053 हेक्टेयर किस्म चाही तृतीय, खसरा नं. 1271/1 रकबा 0.0728 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा में वादी का 1/15 वां हक व हिस्सा रखते हुए माप एवं सीमांकन के अनुसार अलग–अलग आने जाने के रास्ते को छोड़कर तरमीम करते हुए वादी के बंट में रखते हुए बंटवाडा की डिकी सादिर फरमाइ जावें।

वादी के वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणो को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं. एक से दो की ओर से अधिवक्ता महेन्द्रसिंह कच्छावाह ने वकालतनामा प्रस्तुत किया । शेष प्रतिवादीगणो के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी प्रेषित किये जाने पर भी उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील प्रतिवादी सं. एक व दो ने राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर समस्त काबिज काश्त हैं। अगर मौके पर दर्ज हिस्से अनुसार प्राथमिक डिकी जारी की जाती है तो कोई आपति नही हैं। दोनो पक्षो की सहमति से तनकीयात कायम नही की और न ही साक्ष्य ली गयी। मौके पर कब्जे काश्त अनुसार नियमानुसार आरएलआर 1957 के नियम 18 से 22 कर पालना अनुसार प्राथमिक डिकी हेतु तहरीर जारी की ।

तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राथमिक डिकी की पालना बंटवाड़ा प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिस पर वकील वादीगण को कोई आपति नही है वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तहसीलदार पीपाड़ शहर से निर्णय दिनांक 20.08.2024 की पालना में बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्राप्त हुआं। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हक हिस्सा । तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रहेंगा। राजस्व ग्राम पीपाड़ शहर के खसरानम्बर 1271 व 1271/1 में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर पक्षकारो के मध्य कोई आपति नही है। उक्त प्राथमिक डिकी को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता हैं। उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उक्त डिकी के भाग रहेगे। अन्तिम डिकी पृथक से जारी होकर संलग्न पत्रावली हों।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix D & 1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

इजलास **श्रीमती मृदुला शेखावत R.A.S.**

पुखराज बनाम गिरधारीराम वगैरा

दावा बाबत **53,188 आर टी एक्ट** राजस्व मूल वाद संख्या **104/2021**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू व वकुलाय हाजरी वकील **बक्तावरसिंह जाखड़** मनजानिव मुदई वकील **मधुसुदन चौधरी** मनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर से निर्णय दिनांक 20.08.2024 की पालना में बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्राप्त हुआ। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हक हिस्सा तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रहेगा । राजस्व ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 1271, व 1271/1 में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर पक्षकरो के मध्य कोई आपति नही है । उक्त प्राथमिक डिक्री को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है। उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उक्त डिक्री के भाग रहेगे। इस आशय की अन्तिम डिक्री पर्चा जारी किया जाता हैं।**

लीज ....शून्य ....मुवलिक ....शून्य............ बाबत ....शून्य............ खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरद.............................शून्य.................................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.............शून्य...................को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17.06.2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा...........
पीपाड़ शहर

मुदई	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजोदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक		
मीजान.........			मीजान.......		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर